रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2000/माघ 11, 1921

No. 68] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2000/MAGHA 11, 1921

जल, भूतल मंत्रालय

(परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2000

सा.का.नि. 77(अ).—भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/85-एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में अपने आदेश तारीख 29 अप्रैल, 1999 और 13 मई, 1999 द्वारा यह निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2000 से ऐसा कोई यान तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक यूरो II मानदंडों को पूरा न करता हो;

और केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं;

और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के जल भूतल मंत्रालय (परिवहन खंड) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 681 (अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1999 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव ऐसी तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे जिसको अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 4 अक्तूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्र सरकार ने विचार कर लिया है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 211 के साथ पठित धारा 12, धारा 27, धारा 64, धारा 88 की उपधारा (14), धारा 110, धारा 137, धारा 164, और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये,

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2000 से ही और देश के अन्य क्षेत्रों में उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रकर्म-II) :—

(क) ऐसी मोटर कारें जिनमें बैठने की क्षमता 6 व्यक्ति (चालक सहित) है और सकल यान द्रव्यमान (जीवीएम) 2500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

निम्नलिखित सहित यान	मानक (अनुमोदन का प्रकार=सीओपी)(जी/किमी)		
	सी ओ	(एचसी+एनओएक्स)	पीएम
गैसोलिन इंजिन	2.2	0.5	—
डीजल इंजिन	1.0	0.7	0.08

(ख) ऐसे चार पहिया सवारी यान जो जीवीडब्ल्यू सहित हैं और 3500 किलोग्राम के समतुल्य या कम हैं और उन्हें 6 से अधिक सवारी ले जाने के लिए (चालक सहित) डिजाइन किया गया है या जिनका अधिकतम द्रव्यमान 2500 किलोग्राम से अधिक है।

अनुमोदन के लिए सीमित मूल्य (टीए) तथा सीओपी

वर्ग	संदर्भ द्रव्यमान (आरडब्ल्यू) कि.ग्रा.	सीओ (जी/किग्रा.) का द्रव्यमान		एचसी+एनओएक्स (जी/किग्रा.) का द्रव्यमान		पीएम (जी/किग्रा. का द्रव्यमान)
		गैसोलिन	डीजल	गैसोलिन	डीजल	डीजल
I	आरडब्लयू < 1250	2.2	1.0	0.5	0.7	0.08
II	1250 < आरडब्ल्यू 1700	4.0	1.25	0.6	1.0	0.12
III	1700 < आरडब्ल्यू	5.0	1.5	0.7	1.2	0.17

टिप्पण :

1. परीक्षण चालन चक्र और निर्दिष्ट ईंधन सहित उपनियम (10) के अनुसार निम्नलिखित उपांतरणों सहित होंगे :—
   (i) सीओपी प्रयोजन के लिए मानदंडों में कोई शिथिलता नहीं होगी,
   (ii) परीक्षण चेसिस डायनेमोमीटर पर होंगे,
   (iii) चालन चक्र 90 किलोमीटर प्रति घँटा की अधिकतम गति पर होगा, और
   (iv) निर्दिष्ट ईंधन अधिकतम 0.55 प्रतिशत गंधक तत्व का होगा।
2. उक्त मानदंडों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक ईंधन 0.05 प्रतिशत द्रव्यमान अधिकतम गंधक तत्व तक होगा।
3. पैट्रोल से चालित यानों के लिए कोई क्रैंकसेस उत्सर्जन नहीं होगा।
4. पैट्रोल से चालित यानों से वाष्पोत्सर्जन 2.0 ग्राम/प्रति परीक्षण से अधिक नहीं होगा।
5. कैटेलिटिक कनवर्टर से युक्त उपर्युक्त यानों के लिए जब वह कैटेलिटिक कनवर्टर से युक्त हो, यान ह्रासकारक निम्न प्रकार होगा :
   गैसोलिन ईंधन : सीओ = 1.2; (एचसी+एनओएक्स)=1.2; डीजल ईंधन : सीओ = 1.1 ; (एचसी+एन ओएक्स) = 1.0;
   पीएम = 1.2

परंतु यह कि यान विनिर्माता उस प्रक्रिया के अनुसार ह्रासकारक का अवधारण करने के लिए 80,000 किलोमीटर का कोई कालप्रभावन परीक्षण का विकल्प ले सकेंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए।

6. डीजल इंजन यानों के लिए, दृश्यमान प्रदूषकों (धूम) का उत्सर्जन, जब उनका पूरे भार सहित अपरिवर्ती गतियों पर परीक्षण किया जाए, धूम के घनत्व के सीमामान से, जब उसे नियम 115 (9) के उपाबंध-1 के अनुसार विभिन्न अंकित स्रावों के लिए प्रकाश अवशोषण, गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाए, अधिक नहीं होगा"।

[फा. सं. आरटी-11011/9/99-एमवीएल]

अशोक जोशी, सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि.सं. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किये गये थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि.सं. 65(अ) तारीख 25-1-2000 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2000

G.S.R. 77(E).—Whereas the Supreme Court of India vide its order dated 29th April, 1999 and 13th May, 1999 in the matter of Writ Petition No. 13029/85-M.C.Mehta vs. Union of India has directed that in the National Capital Region, from 01st April, 2000, no vehicle shall be registered unless it conforms to EURO II norms;

And Whereas the Central Government has to take steps to implement the aforesaid orders of the Hon'ble Supreme Court;

And Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989 was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (I) dated the 01st October,1999 with the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport(Transport Wing), No. G.S.R. 681(E) dated 01st October, 1999 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty- five days from the date on which copies of the Gazette of India containing the notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 04th October, 1999.

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 12, 27, 64, sub-section(14) of section 88, sections 110, 137, 164 and 208 read with section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1 (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (3rd Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force--

(a)in the National Capital Region, on and from 1st April, 2000, and
(b)in other areas of the country, from such date as may be notified by the Central Government

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely.-

"(11) Mass Emission Standards (Bharat Stage-II):-

(A) Motor Cars with seating capacity of and upto 6 persons(including driver) and Gross Vehicle Mass(GVM) not exceeding 2500 kg.

Vehicles with	Standards(Type Approval=COP)(g/km)		
	CO	(HC+Nox)	PM
Gasoline engine	2.2	0.5	--
Diesel engine	1.0	0.7	0.08

(B) Four-Wheeler Passenger Vehicles with GVW equal to or less than 3500 kg and designed to carry more than 6 persons (including driver) or maximum mass of which exceeds 2500 kg.

		Limit Values for Type Approval(TA) as well as COP				
Class	Ref. Mass(rw) Kg	Mass of CO(g/km)		Mass of HC+NOx(g/km)		Mass of PM(g/km)
		Gasoline	Diesel	Gasoline	Diesel	Diesel
I	rw<1250	2.2	1.0	0.5	0.7	0.08
II	1250<rw<1700	4.0	1.25	0.6	1.0	0.12
III	1700<rw	5.0	1.5	0.7	1.2	0.17

NOTES:-

1. The test including driving cycle shall be as per sub-rule(10), with the modifications that :-

   (i) there shall be no relaxation of norms for COP purposes,
   (ii)the tests shall be on Chassis dynamometer.
   (iii)The driving cycle shall be at a maximum speed of 90 kmph, and
   (iv)The reference fuel shall be of a maximum of 0.05% sulphur content

2. Commercial fuel for meeting above norms shall be upto 0.05% mass maximum sulphur content

3. There shall be no crankcase emissions for petrol driven vehicles.

4. Evaporative emission shall not be more than 2.0g/test from petrol driven vehicles.

5. For the above vehicles when fitted with catalytic converter deterioration factor shall be as follows:

Gasoline engines: CO=1.2;(HC+Nox)= 1.2;
Diesel engines :CO=1.1; (HC+Nox)=1.0;PM=1.2.

Provided that the vehicle manufacturers may opt for an aging test of 80,000kms for evaluating deterioration factor, as per procedure that may be laid down by the Central Government.

6. For diesel engine vehicles, the emission of visible pollutants(smoke) shall not exceed the limit value to smoke density, when expressed as light absorption coefficient for various nominal flows as in Annexure-I to Rule 115(9) when tested at constant speeds over full load".

[F.No. RT-11011/9/99-MVL]

ASHOKE JOSHI, Secy.

Note : The Principal rules were notified vide notification number G.S.R. 590(E) dated 2-6-89 and were last amended vide notification number G.S.R. 65(E) dated 25.1.2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.